वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 05.02.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",अमर उजाला, न्यायाधीश, ज्ञानशिखा टाइम्, तरुणमित्र न्यूज़, आज, राष्ट्रीय सहारा,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला –दि0 05.02.2025

कर्मचारियों के बीच कार्यों का वितरण सही नहीं मिला

वाराणसी। वीडीए सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा ने मंगलवार को अधिष्ठान अनुभाग का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अनुभाग में कार्यरत कर्मचारियों के बीच कार्यों का वितरण सही नहीं पाया गया। इस पर प्रभारी अधिकारी (अधिष्ठान) को निर्देशित किया गया कि कार्य वितरण के संबंध में दोबारा प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

गार्ड फाइल व सेवा-पुस्तिका का रख रखाव व्यवस्थित व पूर्ण नहीं पाया गया। इसे ठीक करने के साथ सेवा पुस्तिका को तत्काल एक सप्ताह के अंदर अपडेट करने को कहा। कहा कि जो भी कार्मिक सेवानिवृत्त होने वाले हो।

उनके समस्त देयकों का भुगतान आदि सम्बन्धी विवरण सेवानिवृत्त तिथि से पूर्व अवश्य पूरी कराएं। कार्य देखने वाले कर्मचारी शासनादेश अपने पास रखें। सभी कर्मचारियों की उपस्थिति जांची जाए। शासन स्तर से प्राप्त होने वाले पत्रों का निस्तारण तत्काल कराएं। ब्यूरो

अमर उजाला –दि0 05.02.2025

वीडीए ने अवैध प्लॉटिंग पर दिया नोटिस

वाराणसी। वीडीए के अपर सचिव डॉ गुडाकेश शर्मा ने मंगलवार को सारनाथ वार्ड का निरीक्षण किया। अपर सचिव के मुताबिक सारंगनाथ मंदिर के पास बरईपुर में बिना ले-आउट पास कराए 1200 वर्ग मीटर में अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। इस पर प्लॉटिंग कराने वाले विरेंद्र बहादुर सिंह को नोटिस दिया गया है। नोटिस का जवाब मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो

आज –दि0 05.02.2025

विप्रा सचिवने आधा दर्जनसे अधिक विभागोंका किया औचक निरीक्षण

विप्राके सचिव डॉक्टर वेदप्रकाश मिश्रने मंगलवारको विभिन्न विभागोंका निरीक्षण करनेके बाद नाराजगी व्यक्त करते हुए कर्मचारियोंको आवश्यक कार्य करनेके लिए निर्देश दिया। जिसमें अधिष्ठान विभागका कार्य संतोषजनक न होने से कर्मचारियोंके पदभारके विषयमें प्रस्ताव मांगा, वहीं गार्ड फाइल और सेवा पुस्तिकाका रखरखाव भी ठीकसे नहीं मिला, जिसके लिए संबंधित कर्मचारियोंकोएक सप्ताहमें कार्य दुरुस्त करनेकी चेतावनी दी गयी। सेवा निवृत्त होनेवाले कर्मचारियोंका देय भुगतानमें भी खामियां मिली, जिस पर सचिवने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मृत्यु सेवाकाल में हो उसके देयका भुगतान और मृतक आश्रितोंके नियुक्तिके विषयमें शीघ्र निस्तारणके लिए पत्राचारका निर्देश दिया। निरीक्षणके दौरान शासनके स्तरसे भेजे गये आदेशोंका संग्रहण दुरुस्त करनेका भी निर्देश दिया गया। इस सम्बन्धमें आवश्यक निर्देश देनेके बाद प्रभारी अधिष्ठानको दैनिक उपस्थितिका औचक निरीक्षण करनेका निर्देश दिया गया।

आज–दि0 05.02.2025

अवैध प्लाटिंगको लेकर नोटिस जारी

विप्राके अपर सचिव डॉक्टर गुडाकेस शर्माने मंगलवारको सारनाथ क्षेत्रमें आकस्मिक निरीक्षण किया। यहांपर सारंगनाथ मन्दिरके बगलमें भूमिस्वामी विरेन्द्र बहादुर सिंहने बिना लेआउट स्वीकृत कराये अवैध प्लाटिंग कर रहे थे। मौकेपर पहुंचे अधिकारी और अभियन्ताओंने भूमि स्वामीको चेतावनी देते हुए नोटिसकी कारवाई की।

ज्ञानशिखा टाइम्स–दि0 05.02.2025

अपर सचिव डॉ0 गुडाकेश शर्मा द्वारा जोन-02, वार्ड-सारनाथ का किया स्थलीय निरीक्षण

वाराणसी। वार्ड- सारनाथ, बरईपुर, सारंगनाथ मन्दिर के बगल में विरेन्द्र बहादुर सिंह व अन्य द्वारा बिना ले-आउट स्वीकृत कराए लगभग 1200 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल पर अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी द्य उक्त अनाधिकृत प्लाटिंग के विरूद्ध उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही की गयी मौके पर अवर अभियंता वर्तिका दुबे उपस्थित रहीं । उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही ख़रीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

न्यायाधीश—दि0 05.02.2025

अपर सचिव वीडीए द्वारा जोन-02, वार्ड-सारनाथ का किया गया स्थल निरीक्षण

वाराणसी। उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम मे अपर सचिव डॉ0 गुडाकेश शर्मा द्वारा जोन-02, वार्ड-सारनाथ का स्थल निरीक्षण किया गया, कृत कार्यवाही निम्नवत है वार्ड- सारनाथ, बरईपुर, सारंगनाथ मन्दिर के बगल मे विरेन्द्र बहादुर सिंह व अन्य द्वारा बिना ले-आउट स्वीकृत कराए लगभग 1200 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल पर अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थीं। उक्त अनाधिकृत प्लाटिंग के विरूद्ध उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही की गयी। इस मौके पर अवर अभियंता वर्तिका दुबे उपस्थित रहीं। उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

न्यायाधिश —दि0 05.02.2025

सचिव वाविप्रा द्वारा किया गया अधिष्ठान अनुभाग का निरीक्षण व कार्यो की समीक्षा

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण के सचिव डॉ वेद प्रकाश मिश्रा द्वारा प्राधिकरण के अधिष्ठान अनुभाग का निरीक्षण व कार्यो की समीक्षा की गयी। निरीक्षण के दौरान श्री परमानन्द यादव, प्रभारी अधिकारी (अधिष्ठान), कार्यालय अधीक्षक व अधिष्ठान अनुभाग के अन्य कर्मचारी आदि उपस्थित थे। अधोहस्ताक्षरी द्वारा समीक्षा के दौरान निम्नलिखित निर्देश दिये गये : अनुभाग में कार्यरत कर्मचारियों के मध्य कार्यो का वितरण सही नही पाया गया, उक्त के सम्बन्ध में प्रभारी अधिकारी (अधिष्ठान) को निर्देशित किया गया कि अनुभाग में कार्यरत कर्मचारियों के कार्य वितरण के सम्बन्ध मे पुनः प्रस्ताव प्रस्तुत करें। गार्ड फाइल व सेवा-पुस्तिका का रख रखाव व्यवस्थित व पूर्ण नही पाया गया, उक्त के सम्बन्ध मे निर्देशित किया गया कि गार्ड फाइल का वर्षवार, क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित रूप से संकलित किया जाय व समस्त कार्मिकों की सेवा पुस्तिका को तत्काल एक सप्ताह के अन्दर अद्यतन कर लिया जाये। कार्मिकों को यह निर्देशित किया गया कि जो भी कार्मिक सेवानिवृत्त होने वाले हो, उनके समस्त देयकों का भुगतान आदि सम्बन्धी विवरण सेवानिवृत्त तिथि से पूर्व अवश्य रूप से पूर्ण कर ले। यह भी निर्देशित किया गया कि यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु सेवाकाल मे ही हो जाये, तो उसके देयको आदि के भुगतान हेतु वांछित अभिलेखो के सम्बन्ध मे मृत कर्मचारी के आश्रितों को तत्काल पत्राचार के माध्यम से सूचित कर दिया जाये। अनुभाग के समस्त कार्मिकों को निर्देशित किया गया कि उनके द्वारा जो भी कार्य देखा जा रहा हो, उन कार्यो से सम्बन्धित समस्त शासनादेशों का एक पृथक संग्रह अवश्य रूप से अपने पास रखे। प्रभारी अधिकारी (अधिष्ठान) को निर्देशित किया गया कि समस्त कार्मिकों के दैनिक उपस्थिति की जाँच आकस्मिक रूप से अवश्य कराना सुनिश्चित करें।

राष्ट्रीय सहारा –दि0 05.02.2025

कार्मिकों के दैनिक उपस्थिति की जांच के आदेश

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण के सचिव डॉ वेद प्रकाश मिश्रा द्वारा मंगलवार को प्राधिकरण के अधिष्ठान अनुभाग का निरीक्षण व कार्यों की समीक्षा की गई। निरीक्षण दौरान प्रभारी अधिकारी अधिष्ठान परमानन्द यादव, कार्यालय अधीक्षक व अधिष्ठान अनुभाग के अन्य कर्मचारी आदि उपस्थित थे।

इस दौरान सचिव ने प्रभारी अधिकारी (अधिष्ठान) को निर्देशित किया कि समस्त कार्मिकों के दैनिक उपस्थिति की जाँच आकस्मिक रूप से अवश्य कराना सुनिश्चित करें। निर्देशित किया कि शासन स्तर से प्राप्त होने वाले पत्रों का निस्तारण शीर्ष प्राथमिकता पर ससमय निस्तारित किया जाये एवं शासन स्तर का किसी भी प्रकार का पत्राचार लम्बित न हो। वहीं समस्त कार्मिकों को निर्देशित किया गया कि समस्त कार्मिक कार्यालय ससमय उपस्थित होकर अपने पटल पर लम्बित कार्यो का निष्पादन नियत अवधि में करना सुनिश्चित करें।

इस दौरान समीक्षा के दौरान निर्देश में अनुभाग में कार्यरत कर्मचारियों के मध्य कार्यो का वितरण सही नहीं पाया गया, उक्त के संबंध में प्रभारी अधिकारी (अधिष्ठान) को निर्देशित किया गया कि अनुभाग में कार्यरत कर्मचारियों के कार्य वितरण के सम्बन्ध में पुनः प्रस्ताव प्रस्तुत करें। गार्ड फाइल व सेवा-पुस्तिका का रख रखाव व्यवस्थित व पूर्ण नहीं पाया गया, उक्त के संबंध में निर्देशित किया गया कि गार्ड फाइल का वर्षवार, क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित रूप से संकलित किया जाय व समस्त कार्मिकों की सेवा पुस्तिका को तत्काल एक सप्ताह के अन्दर अद्यतन कर लिया जाये। वहीं कार्मिकों को निर्देशित किया जो भी कार्मिक सेवानिवृत्त होने वाले हो, उनके समस्त देयकों का भुगतान आदि संबंधी विवरण सेवानिवृत्त तिथि से पूर्व अवश्य रूप से पूर्ण कर लें।

वीडीए ने की अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध कार्रवाई, नोटिस

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में अपर सचिव डॉ गुडाकेश शर्मा द्वारा जोन-02 के सारनाथ वार्ड का मंगलवार को स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान कृत कार्यवाही में सारनाथ वार्ड के बरईपुर, सारंगनाथ मन्दिर के बगल में विरेन्द्र बहादुर सिंह व अन्य द्वारा बिना ले-आउट स्वीकृत कराए लगभग 1200 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल पर अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी। उक्त अनाधिकृत प्लाटिंग के विरूद्ध उप्र नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही की गयी। इस मौके पर अवर अभियंता वर्तिका दुबे उपस्थित थी।

तरूणमित्र न्यूज–दि0 05.02.2025

वीडीए सचिव डा. वेद प्रकाश ने अधिष्ठान अनुभाग का किया औचक निरीक्षण व कार्यों की समीक्षा

तरुणमित्र न्यूज

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण के सचिव डॉ वेद प्रकाश मिश्रा ने मंगलवार को प्राधिकरण के अधिष्ठान अनुभाग का निरीक्षण व कार्यों की समीक्षा किया इस दौरानअनुभाग में कार्यरत कर्मचारियों के मध्य कार्यों का वितरण सही नहीं पाया गया, उक्त के सम्बन्ध में प्रभारी अधिकारी (अधिष्ठान) को निर्देशित किया गया कि अनुभाग में कार्यरत कर्मचारियों के कार्य वितरण के सम्बन्ध में पुन: प्रस्ताव प्रस्तुत करें। गार्ड फाइल व सेवा-पुस्तिका का रख रखाव व्यवस्थित व पूर्ण नहीं पाया गया, उक्त के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि गार्ड फाइल का वर्षवार, क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित रूप से संकलित किया जाय व समस्त कार्मिकों की सेवा पुस्तिका को तत्काल एक सप्ताह के अन्दर अद्यतन कर लिया जाये। सचिव डा. वेद प्रकाश ने कार्मिकों को यह निर्देशित किया कि जो भी कार्मिक सेवानिवृत्त होने वाले हो, उनके समस्त देयकों का भुगतान आदि सम्बन्धी विवरण सेवानिवृत्त तिथि से पूर्व अवश्य रूप से पूर्ण कर लें। निर्देशित किया कि यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु सेवाकाल में ही हो जाये, तो उसके देयकों आदि के भुगतान हेतु वांछित अभिलेखों के सम्बन्ध में मृत कर्मचारी के आश्रितों को तत्काल पत्राचार के माध्यम से सूचित कर दिया जाये।

वीडीए सचिव डा. वेद प्रकाश मिश्रा औचक निरीक्षण के दौरान अधीनस्थों को निर्देश देते हुए। संयुक्त सचिव परमानंद यादव भी रहे मौजूद

अनुभाग के समस्त कार्मिकों को निर्देशित किया गया कि उनके द्वारा जो भी कार्य देखा जा रहा हो, उन कार्यों से सम्बन्धित समस्त शासनादेशों का एक पृथक संग्रह अवश्य रूप से अपने पास रखें। प्रभारी अधिकारी (अधिष्ठान) को निर्देशित किया गया कि समस्त कार्मिकों के दैनिक उपस्थिति (Attendance) की जाँच आकस्मिक रूप से अवश्य कराना सुनिश्चित करें। यह भी निर्देशित किया गया कि शासन स्तर से प्राप्त होने वाले पत्रों का निस्तारण शीर्ष प्राथमिकता पर ससमय निस्तारित किया जाये एवं शासन स्तर का किसी भी प्रकार का पत्राचार लम्बित न हो।उक्त के अतिरिक्त समस्त कार्मिकों को निर्देशित किया गया कि समस्त कार्मिक कार्यालय ससमय उपस्थित होकर अपने पटल पर लम्बित कार्यों का निष्पादन नियत अवधि में करना सुनिश्चित करें। इस दौरान वीडीए के संयुक्त सचिव परमानन्द यादव, प्रभारी अधिकारी (अधिष्ठान), कार्यालय अधीक्षक व अधिष्ठान अनुभाग के अन्य कर्मचारी आदि उपस्थित थे।